परिशिष्ट II.1
वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा की गई पहलों की समीक्षा-2006-07

रिज़र्व बैंक के भीतर ही पर्यवेक्षी ढाँचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना नवंबर 1994 में की गई ताकि ञ्केवल पर्यवेक्षण पर पूरा ध्यानट दिया जा सके तथा वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पर्यवेक्षण के लिए समेकित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 2006-07 (जुलाई-जून) के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठकें 12 बार हुई। वर्ष के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा की गयी प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

(i) बासेल-1 रूपरेखा लागू होने से बैंकों की पूंजी निधि की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। भारतीय बैंकों के तुलन-पत्रों में लगातार विस्तार होने से ञ्नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखाट जो जोखिम की दृष्टि से अधिक संवेदनशील है तथा परिचालनगत जोखिम के लिए अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं के कारण बैंक अपनी पूंजी निधि के और अधिक बचाव को उद्धत हैं। बढ़ी हुई पूंजी निधि की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष के दौरान पूंजी जुटाने के लिए बैंकों के विकल्प पर बी एफ एस द्वारा विचार किया गया तथा पूंजी जुटाने के लिए अतिरिक्त लिखत अर्थात नवोन्मेषी टियर-I लिखत और अपर टियर II लिखत प्रवर्तित करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश बैंकों को जारी किए गए।

(ii) बाहर से निधियां जुटाने के अतिरिक्त, आंतरिक अर्जन बैंकों की पूंजी निधि का एक महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय बैंकों की बढ़ी हुई लाभप्रदता से मूल रूप में उनकी पूंजी निधि में वृद्धि हुई है। तथापि, बी एफ एस ने ऐसा महसूस किया कि कुछ बैंक अस्थायी प्रावधानों के उपयोग तथा आरक्षित निधि के विनियोजन में कुछ अनुचित प्रक्रिया/तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने पाया कि बैंकों द्वारा अस्थायी प्रावधान लाभ बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जा रहे है तथा उनके उपयोग के तरीके में पारदर्शिता की कमी है। तदनुसार, बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट था कि अस्थायी प्रावधानों का उपयोग बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तथा रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से अनर्जक आस्तियों में विशिष्ट प्रावधानों का उपयोग करते हुए असामान्य परिस्थितियों में केवल आकस्मिकता होने पर ही किया जाए। साथ ही, बैंक के बोर्ड अनुमोदित नीति के अन्तर्गत असाधारण परिस्थितियों की परिभाषा दें तथा वह स्तर भी बताएँ जहाँ तक अस्थायी प्रावधानों का सृजन किया जा सकता है। जहाँ तक प्रारक्षित निधि के विनियोजन का प्रश्न है, यह निर्णय लिया गया है कि सांविधिक प्रारक्षित निधि को नीचे लाने का सहारा सुनिश्चित करने का कार्य यथोचित रूप से किया जाता है न कि किसी विनियामक निर्णायक के उल्लंघन में, अतः बैंकों को अपने ही हित में, सांविधिक प्रारक्षित निधि से कोई विनियोजन करने से पहले रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

(iii) बासल II रूपरेखा के अन्तर्गत पूंजी की पर्याप्तता और बैंक के परिचालनों को आकस्मिक हानि की संभावना इसकी आस्तियों के जोखिम स्तर से संबंधित हैं। भारित आस्ति दृष्टिकोण बैंक की देयता की साइड पर जोखिम जमा होने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। बैंकों की देयता की साइड पर जोखिम इकट्ठा होने के संबंध में बढ़ते हुए महत्व और जागरूकता के संबंध में, बी एफ एस ने मामले की जाँच विस्तार से की है। बैंकों की देयता साइड में सघनता कम करने, विशेष रूप से अन्तर बैंक देयता के मामले में यह निर्णय लिया गया कि बैंक की अन्तर बैंक देयता पिछले वर्ष के 31 मार्च को इसके निवल मूल्य के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, प्रत्येक बैंक, अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपने कारोबार मॉडल को ध्यान में रखते हुए अपनी अन्तर बैंक देयता के लिए निम्न सीमा निर्धारित कर सकता है। जिन बैंकों का सी आर ए आर न्यूनतम सी आर ए आर (9 प्रतिशत) से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है, अर्थात पिछले वर्ष के 31 मार्च को 11.25 प्रतिशत है तो उन्हें उनकी अन्तर बैंक देयताओं के लिए निवल मालियत के 300 प्रतिशत की उच्चतर सीमा रखने की अनुमति है। इस निर्धारित सीमा में केवल भारत में निधि आधारित अन्तर बैंक देयता ही सम्मिलित होगी (भारत में कार्यरत बैंकों की विदेशी मुद्रा में अन्तर बैंक देयताओं सहित)। अन्य शब्दों में, भारत से बाहर की अन्तर बैंक देयताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मांग मुद्रा उधारों की वर्तमान सीमा उक्त सीमा के भीतर ही उप-सीमा है।

(iv) यह पहचान की गई है कि कई बैंकों के संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से भू-संपदा क्षेत्र में बड़े एक्सपोज़र हैं और वे बढ़ रहे हैं, मूल्यों में निहित उतार-चढ़ावों को देखते हुए, उन्हें जोखिमपूर्ण समझा जाता है। तदनुसार, बी एफ एस के निर्देशों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर चयनित अलग-अलग बैंकों के संवेदनशील क्षेत्रों में बैंक के एक्सपोज़रों के संबंध में पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया का दूसरा दौर शुरू किया गया। इस प्रक्रिया में, बैंकों के आन्तरिक और नियामक मानदंडों के वास्तविक नियंत्रण परिवेश, प्रक्रिया और अनुपालन के संदर्भ में बैंकों के एक्सपोज़रों के मूल्यांकन की जाँच पर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है। तदनुसार, कुछ चयनित बैंकों में स्थल पर (आन साइट) संवीक्षा की गई जिससे पता चलता है कि भू संपदा क्षेत्र में बैंकों के बढ़े हुए एक्सपोज़र के मद्देनज़र, उन

बैंकों ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कुछ नीतियाँ लागू कर रखी हैं। तथापि, बैंकों द्वारा सभी मामलों में उन्नत प्रणालियाँ नहीं लागू की गई हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस संवेदनशील क्षेत्र को ऋण प्रदान करते समय ये नीतियाँ वास्तव में लागू की गई थीं।

(v) बी एफ एस ने यह बात भी नोट की है कि वित्तीय समूहों के आंतर-समूह लेन-देन, जिनमें बैंक एक काउंटर पार्टी है, के कारण जोखिम बढ़ रहे हैं। वित्तीय समूहों के रूप में पहचान की गई संस्थाओं के लिए निगरानी तंत्र तैयार किया गया और उसके परिचालन के लिए रिज़र्व बैंक अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 12 वित्तीय कंपनी समूहों के लिए नामित संस्थाओं से आँकड़े/सूचना प्राप्त कर रहा है। वित्तीय कंपनी समूहों की (एफ सी) विवरणियों के विश्लेषण से कुछ मुद्दे सामने आए हैं यथा लेखापरीक्षक वही है, निदेशक वही हैं, कुछ निदेशक अन्य समूह कम्पनियों के कर्मचारी हैं, अधिकारियों की आंतर समूह आवागमन गतिविधियां जिसके संबंधों में एक निश्चित दूरी बनाए रखना/ग्राहक संबंधी आँकडों के निहितार्थ हैं, ग्रुप कम्पनियों में बैक-आफिस व्यवस्था भी वही है, सामूहिक म्यूच्युअल फंड कम्पनियों की इकाइयों में पर्याप्त निवेश और समूह कम्पनी द्वारा जारी बंधक रखी आस्तियाँ कुछ आन्तर समूह लेन-देनों को रिपोर्ट न करना, तथा बड़े लेन-देनों की चुकौती के आश्वासन पत्र। नामित संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा अन्य प्रधान विनियामकों के साथ बकाया मुद्दों / पर्यवेक्षी चिन्ताओं को दूर करने और एफ सी निगरानी प्रबंधन को मजबूत करने के लिए छमाही बैठक में हुई चर्चाओं में कई मुद्दे सामने आए यथा : समूह व्यापी निगरानी प्रबंध की कमी, उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन की कमी, समूह अनुपालन नीति की कमी, आन्तर समूह लेन-देनों और एक्सपोज़र संबंधी नीति की कमी, समूहव्यापी पूंजी मूल्यांकन की कमी, निदेशकों पर 'सही और उचित' मानदण्ड लागू होना, समूहव्यापी चलनिधि प्रबंधन नीति से संबंधित मुद्दे, संघटित जोखिम की पहचान और प्रबंधन, समूह संस्थानों में आउटसोर्सिंग / पूंजी बाजार जोखिम और धोखाधड़ी पर रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का अनुपालन।

(vi) भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका और महत्व को पहचाना गया है। तथापि, कई शहरी सहकारी बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी निधि नहीं है। बी एस एफ द्वारा शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी निधियों के मुद्दे पर विचार किया गया। यह महसूस किया गया कि शहरी सहकारी बैंकों को चार नए लिखत जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए यथा - अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बाण्ड, विशेष शेयर, प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर और दीर्घावधि जमा राशियाँ ताकि वे प्रीमियम पर पूंजी बढ़ा सकें। विशेष शेयर जो मताधिकार से इतर स्वरूप के तथा बेमीयादी होते हैं, को सामान्य शेयरों से भिन्न रखने का सुझाव दिया गया। यह भी महसूस किया गया कि रिज़र्व बैंक रेटिंग अपेक्षा के संबंध में कोई अपवाद बनाएगा ताकि वाणिज्य बैंक विशेष शेयरों और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जारी टियर II बॉण्डों में उपयोग की गई प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर निवेश कर सकें तथा नए लिखतों से बढ़ाई गई निधि को नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात से छूट मिले।